शरायत मिनी ट्रान्सपोर्टनगर में (फेज –2) पर निर्मित दुकानों का बिना वापसी प्रीमियम पर मासिक किराये हेतु आवंटन नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल)।

1. दुकानों का आवंटन जहां है, जैसा है, के आधार पर किया जायेगा।
2. दुकान का आवंटन उच्चतम प्रीमियम (बिना वापसी) की धनराशि का किया जायेगा जो कि अपरिवर्तनीय तथा किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और न ही किराये की धनराशि में समायोजित किया जायेगा।
3. नगर पालिका परिषद के किसी भी प्रकार के बकायेदार एवं उसके पारिवारिक सदस्यों को आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नही होगा।
4. प्रत्येक दुकान हेतु पृथक–पृथक कोटेशन प्रस्तुत किये जायेंगे।
5. आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज कोटेशन के साथ प्रस्तुत करने होगें।
   - आधार कार्ड
   - पैन कार्ड
   - राशन कार्ड या ऐसा वैध दस्तावेज जो पारिवारिक सदस्यों की पुष्टि करता हों।
   - कोटेशन धनराशि के साथ 50 प्रतिशत धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट (मूल रूप में) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद रामनगर के नाम से देय हो।
   - कोटेशनदाता को नगरपालिका रामनगर द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. उच्चतम कोटेशनदाता को स्वीकृत कोटेशन की शेष धनराशि बोर्ड की स्वीकृति के 10 दिन के भीतर जमा करनी होगी।
7. उच्चतम कोटेशनदाता को स्वीकृति के 07 दिनों के भीतर अपने व्यय पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर नगरपालिका के साथ अनुबन्ध/किरायेनामें का निष्पादन कर उसका नियमानुसार पंजीयन स्थानीय निबन्धक कार्यालय में कराकर अनुबन्ध/किरायेनामा नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत कराना होगा। पंजीकृत अनुबन्ध/किरायेनामा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही उच्चतम कोटेशन दाता एवं किरायेदार को दुकान का कब्जा दिया जाएगा।
8. उच्चतम कोटेशन दाता को दुकान का कब्जा किरायेदार की हैसियत से दिया जाएगा। दुकान का स्वामित्व नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल) का रहेगा। उच्चतम कोटेशन दाता/किरायेदार को दुकान का किराया मय जी0एस0टी0 प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अग्रिम जमा करना होगा।
9. दुकानों की न्यूनतम प्रीमियम धनराशि निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	दुकान संख्या	न्यूनतम प्रीमियम धनराशि (रूपये में)
1.	07, 08, 09 एवं 10	6,00,000=00
2.	13, 14, 15, 16 एवं 17	4,00,000=00

10. बोर्ड बैठक दिनांक 20–09–25 को पारित प्रस्ताव सं02के अनुपालन में किराया निम्नानुसार निर्धारित किया गया है, निम्न मासिक किराया प्रतिमाह पालिका में जमा करना होगा।

क्र0सं0	दुकान संख्या	मासिक किराया धनराशि (रूपये में)
1	07, 08, 09 एवं 10	1350=00 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त
2.	13, 14, 15, 16 एवं 17	800=00 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त

11. किरायेदार की किराये की धनराशि में प्रत्येक 5 वर्ष मे 12.5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जायेगी और किरायेदार को यह वृद्धि मान्य होगी। उक्त के अतिरिक्त शासन/निदेशालय द्वारा पालिका की

किराये की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रख्यापित नीति/शासनादेश/प्रख्यापित प्राविधानों का पालन करना किरायेदार को अनिवार्य होगा जिस हेतु कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी।

12. किरायेदार द्वारा लगातार 02 माह का किराया जमा न करने की दशा में, किरायेदार की किरायेदारी समाप्त कर, दुकान में पुनः प्रवेश का अधिकार पालिका में निहित होगा।
13. दुकान का स्वामित्व नगरपालिका परिषद रामनगर का होगा। किरायेदार द्वारा दुकान का हस्तान्तरण दीगर व्यक्ति को किए जाने पर पालिका द्वारा किरायेदारी समाप्त कर दी जायेगी तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए दुकान का आवंटन कर दिया जाएगा।
14. दुकान पालिका की सम्पत्ति होगी और किसी भी किरायेदार का मूलस्वरूप एवं वाह्य रंग में परिवर्तन करनें का कोई अधिकार नहीं होगा। किरायेदार बिना पालिका की पूर्व स्वीकृति के निर्मित दुकान के निर्माण में किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण/ परिवर्तन नहीं करेगा।
15. दुकान में किरायेदार द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
16. किसी भी कोटशन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, रामनगर को होगा तथा बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात ही आवंटन की अन्तिम स्वीकृति मानी जाएगी।
17. दुकान की छत का प्रयोग नगरपालिका परिषद, रामनगर द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार होगा। दुकान की छत में किरायेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।
18. किसी भी अन्य विभाग के करों/शुल्कों यथा बिजली का बिल/पानी का बिल आदि का वहन अनुबंधकर्ता को स्वयं करना होगा।
19. किरायेदार द्वारा किसी भी शर्तों का उल्लंघन करने पर किरायेदारी समाप्त कर दी जायेगी। जिस हेतु नगरपालिका परिषद द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।
20. किसी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार रामनगर क्षेत्रान्तर्गत सक्षम न्यायालय में निहित होगा।
21. दैवीय आपदा या महामारी एवं अन्य कारणों को आधार बनाकर किराये/प्रीमियम की धनराशि में छूट चाहने संबंधी क्षतिपूर्ति दावे/प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
22. किरायेदार द्वारा दुकान में किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाये जाने पर किरायेदार से नुकसान की भर पायी की जायेगी। अन्यथा की दशा में विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद रामनगर

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद रामनगर